

गायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़

ल संख्या:-72/2024

पीठासीन अधिकारी:-ओम प्रकाश सहारण (RAS)

1. हरिकेशव पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण आयु करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम बावल तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा) हाल ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज०।
- निगरानीकर्ता

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत शाहजहापुर, पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर राज०
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री कृष्ण जोशी
3. उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण जोशी
4. महेंद्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण जोशी
5. सरोज पुत्री श्री कृष्ण जोशी
6. उर्मिला पुत्री श्री कृष्ण जोशी
7. मीना कुमारी पुत्री श्री कृष्ण जोशी
8. मगजेन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी
9. रविन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी
10. सुनील कुमार पुत्र सोमदत्त जोशी
11. निति कुमार पुत्र सोमदत्त जोशी
12. मन्जू पुत्री सोमदत्त जोशी
13. सुनीता पुत्री सोमदत्त जोशी उर्फ सरिता
14. देवेन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज०

- रेस्पाडेन्टान

रिविजन विरुद्ध मश्वरे इसके कि ग्राम पंचायत शाहजहापुर के द्वारा पट्टा संख्या 2 दिनांक 15-12-1995 को जारी किया गया है, को निरस्त कराये जाने हेतु।

निर्णय

दिनांक 26/12/2024

अपीलान्त/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 15.12.1995 के विरुद्ध की गई निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि:-

1. यह कि रिविजन पर कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है।
2. यह कि रिविजन पर कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है।
3. यह कि उक्त रिविजन ग्राम पंचायत शाहजहांपुर द्वारा जारी पट्टा को निरस्त करने के सम्बन्ध में है जिससे रिविजन न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

1
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

4. यह कि रिविजनाधीन पट्टा भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत शाहजहांपुर पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर तारीख दायर 01-11-1995 पट्टा संख्या 2 जो कि दिनांक 15-12-95 तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है जो किस तारीख के आदेश से जारी किया गया है उसका रिकार्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त पट्टा कतई फर्जी है। जिसके विरुद्ध रिविजन पेश की जा रही है तथा ऐसे फर्जी पट्टे को निरस्त कराने हेतु रिविजन के लिए कोई मियाद नहीं होती है। जिससे यह रिविजन अंदर मियाद प्रस्तुत है।
5. यह कि एक जायदाद भूखण्ड पैमाईशी इस प्रकार है कि :-
- पूर्व से सिरे उत्तर पूर्व से पश्चिम 60 फुट,
 - सिरे दक्षिण पूर्व से पश्चिम 50 फुट,
 - सिरे पूर्व उत्तर से दक्षिण 55 फुट 6 इंच
 - सिरे पश्चिम उत्तर से दक्षिण 55 फुट 6 इंच
जिसकी हद्दअर्बा इस प्रकार है कि-
 - तरफ पूर्व को उत्तरी कोने की ओर जायदाद हनुमान का मकान दक्षिणी कोने की ओर जायदाद मकान डॉ रमाकान्त,
 - तरफ पश्चिम को जायदाद का निकास एवं आम रास्ता
 - तरफ उत्तर को रास्ता आम,
 - तरफ दक्षिण को रास्ता आम।
6. यह कि उपरोक्त भूखण्ड का मालिक पूर्व में मदनलाल पुत्र प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी शाहजहापुर था जिसने अपने उक्त भूखण्ड को जरिये बयनामा दिनांक 11-08-98 को मिन रिविजनकर्ता को तहरीर करवा कर उसी दिन पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष पेश किया। उपपंजीयक नीमराना द्वारा उक्त जायदाद की बाजारू कीमत बयनामा में अंकित कीमत से अधिक मानकर बयनामा को कम्पाउण्ड कर दिया गया जिस पर मिन रिविजनकर्ता (क्रेता) द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर दिनांक 14-05-99 को उपपंजीयक नीमराना द्वारा पंजीबद्ध किया गया तब से मिन निगराकार उक्त जायदाद बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है।
7. यह कि उपरोक्त वर्णित जायदाद की बाबत एक दीवानी वाद सं. 138/89 फौजूराम वादी बनाम मदनलाल ब्राह्मण प्रतिवादी न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड के समक्ष चला जिस वाद का निर्णय दिनांक 01-11-1991 को हुआ जिसमें फौजूराम का दावा खारिज किया जाकर उक्त जायदाद को मदनलाल ब्राह्मण की मिलकियत की बतायी गई।
8. यह कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जोशी निवासी शाहजहांपुर द्वारा नुमायशी दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत शाहजहांपुर से सन् 1994 में पदस्थापित रहे सरपंच से साजबाज होकर आपराधिक कृत्य करते हुए उक्त भूखण्ड के पूर्वी भाग का फर्जी पट्टा संख्या 2 तैयार करवा दिनांक 15-12-1995 डलवाकर हस्ताक्षरित करवा लिया जिसका ज्ञान मिन रिविजनकर्ता को दीवानी वाद सं.20/2000 हरिकेश बनाम प्रभुदयाल में सन् 2010 में प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्शित करवाया गया एवं इस का वाद का निर्णय दिनांक 17-07-2013 को हुआ जिस पर मिन रिविजनकर्ता द्वारा उक्त पट्टा के बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 19-09-2013 को राज्य एवं सूचना अधिकारी एवं खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नीमराना को प्रेषित करने पर कार्यालय ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटी आई /37/2013 द्वारा मिन रिविजनकर्ता को चाही गई सूचना का रिकार्ड मिन रिविजनकर्ता को प्रेषित किया गया जिसमें दिनांक 01-10-1995 से 31-12-1997 तक का रिकार्ड मिन रिविजनकर्ता को प्रेषित किया।


9. यह कि मिन रिविजनकर्ता उक्त वर्णित जायदाद मौजूदा रिविजन के द्वारा निरस्त करवाने का अधिकारी है।
10. यह कि विवादित पट्टा के बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मिन रिविजनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना का रिकार्ड ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा रिविजनकर्ता को उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से यह साबिक है कि विवादित पट्टा का कोई विवरण ग्राम पंचायत शाहजहापुर कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 01-11-1995 से 15-12-1995 में अंकन नहीं है और ना ही इन तारीखों में विवादित पट्टा सं. 2 जारी करने का कोई आदेश ही है। ताईद में ग्राम पंचायत शाहजहापुर के पत्र क्रमांक एसपीएल-3 दिनांक 17-03-2020 प्रस्तुत है।
11. यह कि पट्टा दिनांक 2 दिनांक 03-01-1995 को ग्राम पंचायत द्वारा किसी किशोरीलाल पुत्र शेरसिंह मीणा के नाम से जारी किया है, विवादित पट्टा संख्या 2 की कोई प्रति ग्राम पंचायत रिकार्ड में नहीं है।
12. यह कि विवादित पट्टा की पट्टा फीस की राशि प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जोशी के नाम से ग्राम पंचायत के लेजर में अंकित नहीं है ना ही पट्टा फीस रसीद बुक में अंकित है।
13. यह कि विवादित पट्टा यदि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होता तो पट्टे के कॉलम को खाली नहीं छोड़ा गया होता बल्कि सनद पट्टा संख्या उसका दिनांक, पट्टा फीस, रसीद संख्या का भी अंकन किया जाता।
14. यह कि विवादित पट्टे के उपर मिसल संख्या के कॉलम में कोई भी मिसल संख्या अंकित नहीं किया हुआ है, तारीख दायरा, दिनांक 01-11-1995 अंकित है लेकिन उसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में शाहजहापुर में उपलब्ध नहीं है।
15. यह कि विवादित पट्टा में अंकित स्थल बाबत ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा समाचार पत्र में किसी को आपत्ति हो का नोटिस प्रकाशित नहीं कराया गया है, ना ह कोई मौका रिपोर्ट कमेटी की पंचायत रिकार्ड में है।
16. यह कि विवादित पट्टा में पट्टा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। और ना ही पट्टे का आज तक पंजीयन करवाया गया है। इसलिए यह पट्टा निरस्त होने योग्य है।
17. यह कि विवादित पट्टा का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत शाहजहापुर में नहीं है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित पट्टा फर्जी है व प्रारम्भ से ही शून्य हैं जिसे मिन रिविजनकर्ता निरस्त करवाने का अधिकारी है। और विवादित पट्टा के अन्तर्गत रेस्पाडेन्ट सं.2ला. 14 अथवा इनके बुजुर्ग प्रभुदयाल जोशी को कोई अधिकार पट्टा में अंकित स्थल पर आयद नहीं होते है।
18. यह कि क्रय करने के पश्चात से विवादित पट्टा में वर्णित भूखण्ड पर मिन रिविजनकर्ता काबिज है।
19. यह कि विवादित पट्टा भूखण्ड से कभी भी रेस्पाडेन्टान या उनके बुजुर्गों का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है तथा उक्त पट्टे में दर्शित भूखण्ड मिन रिविजनकर्ता की खरीदशुदा जायदाद का हिस्सा है। रेस्पाडेन्ट उक्त भूमि से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्खा है तथा उक्त फर्जी पट्टे की आड में रेस्पाडेन्ट नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते है जिसका कि उन्हे कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नहीं है।
20. यह कि रेस्पाडेन्ट के बुजुर्ग प्रभुदयाल जोशी द्वारा रिविजनकर्ता की जायदाद का फर्जी पट्टा सं.2 दिनांक 15-12-95 को ग्राम पंचायत शाहजहापुर के तत्कालीन सरपंच से साजबाज मिल्लत करके तैयार किया एवं करवाये जाने पर उसकी जानकारी रिविजनकर्ता को होने पर मिन रिविजनकर्ता ने सन वाद सं. 20/2000 के दौराने साक्ष्य सन् 2010 से प्रदर्शित करवाये जाने पर एवं इसका वाद दिनांक 17-07-13 को विवादित पट्टा का हवाला आने पर रिविजनकर्ता द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत रिकार्ड प्राप्त किया जो दिनांक 19-09-2013 एवं 17-03-2020 को प्राप्त हुआ संदर्भित वाद के बाबत रिविजन में न्यायिक प्रक्रिया रिविजन न्यायलय में लंबित रही और द्वितीय रिविजन माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय में लंबित है। रेस्पाडेन्टान द्वारा पट्टा का दुरुपयोग कर रिविजनकर्ता को उसकी जायदाद उपर वर्णित से बेदखल करने एवं करवाने एवं बल पूर्वक निर्माण करने की दिनांक 23-09-2021 को धमकी। फर्जी व शून्य पट्टे की कार्यवाही कभी की जा सकती है जिसकी कानूनन कोई मियाद नहीं होती है इस प्रकार यह रिविजन अविलम्ब श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

21. यह कि विवादित फर्जी कथित पट्टा ग्राम पंचायत शाहजहापुर का जारी किया है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से रिविजन न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।
22. यह कि अन्य उज्जात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें।
अतः रिविजन रिविजनकर्ता पेश कर निवेदन है कि रिविजन रिविजनकर्ता स्वीकार फरमायी जाकर भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत शाहजहापुर पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर तारीख दायर 01-11-1995 पट्टा संख्या 2 जो कि दिनांक 15-12-95 तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।
23. नव जिला कोटपूतली-बहरोड़ का सृजन होने के कारण क्षेत्राधिकार में बदलाव होने से पत्रावली जिला कलक्टर अलवर से न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ में प्राप्त हुई तथा न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानी कार स्वयं एवं उनके अधिवक्ता श्री पंकज कुमार शर्मा उपस्थित आकर गैर निगरानी कर्तागण की तल्बी कराने का निवेदन पर नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। गैर निगरानी कर्ता संख्या एक स्वयं उपस्थित आकर जबाब पेश किया तथा अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा एवं श्रीमती संजू यादव द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 लगायत 9 एवं 12 की ओर से से यूटी दी गई। गैर निगरानीकार संख्या 11 एवं 14 की इंकारी तामिल प्राप्त हुई। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की रथगन प्रार्थना पत्र बहस सुनकर पट्टा संख्या 2 दिनांक 15.12.1995 को आगे बेचान/अन्तकरण करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। वकील निगरानीकर्ता/अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती अप्रार्थी संख्या 13 बाबत पेश किया। अप्रार्थी वकील अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर एकल बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा अप्रार्थी संख्या 13 के नाम के आगे लाल स्याही पेन से उर्फ सरिता अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 एवं 13 की रजिस्टर्ड तामिल एवं 11 एवं 14 की इंकारी तामिल हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 व 12 तथा इनके वकील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। निगरानीकर्ता वकील ने प्रस्तुत अपील/निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पट्टा शुदा भूमि का मूल मालिक पूर्व में मदनलाल पुत्र प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी शाहजहापुर था। उक्त भूमि के संबंध में एक दीवानी वाद संख्या 138/89 बउनवान फौजूराम बनाम मदनलाल न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ के समक्ष चला था, जिसमें दिनांक 01.11.1991 को डिक्री पारित कर उक्त जायदाद को मदनलाल ब्राह्मण की मिलकियत बताई गई। तदुपरांत, निगरानीकर्ता ने उक्त भूखण्ड को मिन रिविजनकार को जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.08.1998 को किया गया तथा दिनांक 14.05.1999 उपपंजीयक नीमराना द्वारा पंजीबद्ध किया गया तब से वह बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है। बाद में गैर-निगरानीकर्तागण के बुजुर्ग प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जोशी ने तत्कालीन सरपंच से सांठगांठ कर एक कूटरचित/फर्जी तरीके से भूमि का पट्टा संख्या 2 दिनांक 15.12.1995 तैयार करवा लिया। उक्त पट्टे के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही जाने पर बताया गया कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार 01.11.95 से 15.12.95 में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा भी अपने जबाब में उक्त पट्टे के संबंध में कोई रिकॉर्ड एवं जारी करने के संबंधित दस्तावेज नहीं होना बताया है अतः ग्राम पंचायत शाहजहापुर का पट्टा

संख्या 2 जो कि दिनांक 15-12-95 तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

24. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, ग्राम पंचायत शाहजहांपुर की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। पंचायती राज नियमों के तहत किसी भी पट्टे को जारी करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन उक्त पट्टे के जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत शाहजहांपुर के रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज नहीं पाया गया है। जारी शुदा पट्टे में पट्टे के मूल प्रारूप में मिसल संख्या, रसीद संख्या के कॉलम खाली छोड़े गए हैं ना ही ग्राम पंचायत कि रसीद बुक में प्रभुदयाल के नाम पर पट्टा फीस जमा होने का कोई विवरण अंकित है। पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम/नियमों के तहत किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी नहीं कराया गया और न ही कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट पंचायत रिकॉर्ड में मौजूद है। पट्टे पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड में इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, जो दस्तावेज मूल रिकॉर्ड से प्रमाणित न हो और जिसमें विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन किया गया हो, वह दस्तावेज प्रारंभ से ही शून्य की श्रेणी में आता है। ऐसे शून्य दस्तावेज को निरस्त कराने के लिए मियाद का नियम भी आड़े नहीं आता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शाहजहांपुर, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर वर्तमान कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 15.12.1995 को अवैध एवं शून्य घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 26/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।


अतिरिक्त जिलाधिकारी
कोटपूतली-बहरोड़